

राजस्थान सरकार  
वित्त (आबकारी) विभाग

क्रमांक प.11(13)वित्त/आब/2022

जयपुर, दिनांक: 15/04/2025

—:आज्ञा:—

राजस्थान आबकारी सेवा (निवारक शाखा) में कार्यरत अतिरिक्त/संयुक्त आबकारी आयुक्त, उपायुक्त, आबकारी अधिकारी एवं सहायक आबकारी अधिकारी की दिनांक 01.04.2025 की स्थिति में अस्थाई वरिष्ठता सूची (Provisional Seniority List) निम्नानुसार जारी की जाती है:—

राजस्थान आबकारी सेवा (निवारक शाखा अधिकारी)

क्र.सं.	नाम अधिकारी	चयन वर्ष	विशेष विवरण
(1) अतिरिक्त/संयुक्त आबकारी आयुक्त, निरोधक दल			
—	—	—	—
(2) उपायुक्त, निरोधक दल			
1.	श्री अरविन्द प्रताप सिंह (एस0सी0)	2023-24	—
2.	श्री पोमाराम (एस0सी0)	2024-25	—
3.	श्री ज्ञान प्रकाश मीणा (एस0टी0)	2024-25	—
4.	श्री विजय जोशी	2024-25	—
5.	श्री प्रद्युमन सिंह	2024-25	—
(3) आबकारी अधिकारी			
1.	श्री हुकम सिंह सोढा	2022-23	—
(4) सहायक आबकारी अधिकारी			
1.	श्री महिपाल सिंह राणावत	2011-2012	—
2.	श्री अंकित कुमार अवस्थी	28.12.2021	—
3.	श्री दिगम्बर सिंह डागुर	28.12.2021	—
4.	श्री विकास कुमार बीटू	28.12.2021	—
5.	श्री कुल भूषण मिश्रा	28.12.2021	—
6.	श्री लखन व्यास	28.12.2021	—
7.	श्री रामसहाय जाट	28.12.2021	—
8.	सुश्री करिश्मा कविया	28.12.2021	—
9.	श्री प्रवीण कुमार (एस0सी0)	08.03.2022	—
10.	श्री जगदीश राम	2023-24	—
11.	श्री विनोद कुमार	2023-24	—
12.	श्री अमी लाल	2023-24	सेवानिवृति तिथि 31.08.2025
13.	श्री रामकरण यादव	2023-24	—
14.	श्री भीया राम गोदारा	2023-24	—
15.	श्री घीसा राम चौधरी	2023-24	सेवानिवृति तिथि 31.07.2025
16.	श्री छोटा राम भादु	2023-24	सेवानिवृति तिथि 31.07.2025
17.	श्री गणपत लाल (एस0सी0)	2023-24	—

कमरा नं. 4120 व 5125 मुख्य भवन, शासन सचिवालय, जयपुर-302005


Room No.4120 & 5125, Main Building, Secretariat, Jaipur-302005

Phone: 0141-5153222 Ext. 24470 & 24458, Fax No. 0141-2227239 website: www.finance.rajasthan.gov.in.email: dsfexcise@rajasthan.gov.in

18.	श्री देवा राम चौधरी	2024-25	—
19.	श्री प्रहलाद सिंह गुर्जर	2024-25	—
20.	श्री सुमेर सिंह कटेवा	2024-25	सेवानिवृति तिथि 31.08.2025
21.	श्री रामसहाय नरेडा (एसओटी)	2024-25	—


यदि किसी अधिकारी को उक्त वरिष्ठता सूची में किसी प्रकार की आपत्ति हो तो उक्त वरिष्ठता सूची जारी होने की तिथि से 15 दिवस में आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर के माध्यम से आपत्ति प्रस्तुत करावें। नियत अवधि के पश्चात प्राप्त आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

  
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार(गुप-7) विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त(राजस्व) विभाग।
4. आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान उदयपुर।
5. संबंधित अधिकारी द्वारा आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर।
6. तकनीकी निदेशक, वित्त(कम्प्यूटर) विभाग को प्रेषित कर लेख है कि कृपया उक्त आदेश वित्त विभाग की वेबसाईट पर प्रकाशित करने की व्यवस्था करें।
7. रक्षित पत्रावली।

  
संयुक्त शासन सचिव